(i) परिसम्पत्ति का पुनर्निर्माण और स्थानीय उद्यम को बढ़ावा देना।

(ii) बेरोजगार हुए कर्मचारियों को पुनर्प्रशिक्षण; और

(iii) बन्द मिलों की परिसम्पत्तियों का उपयोग।

राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता राशि संबंधी स्वीकृति से संबंधित संचालनात्मक कार्य पूरा हो जाने पर इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

श्रमिकों की समस्याओं संबंधी त्रिपक्षीय समिति का प्रतिवेदन

5899. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री आस मोहम्मद:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपक्षीय समिति ने श्रमिकों की समस्याओं से संबंधित अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा): (क) से (ख) श्रम संबंधी नई औद्योगिक नीति के प्रभाव और अन्य संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए श्रम मंत्रालय ने 12 नवम्बर, 1991 को एक विशेष त्रिपक्षीय समिति का गठन किया था। 21.12.93 को आयोजित समिति की पहली बैठक में निर्णय लिया गया कि उन उद्योगों जिनमें रुग्णता बार-बार हो जाती है, से संबंधित त्रिपक्षीय औद्योगिक समितियों को पुनर्जीवित किया जाए ताकि वे उपचारात्मक और निवारात्मक उपायों का सुझाव दें।

विशेष त्रिपक्षीय समिति के निर्णय के आधार पर निम्नलिखित छः औद्योगिक समितियों को पुनर्जीवित किया गया जिनके नाम हैं: सूती कपड़ा, जूट, रसायन, इंजीनियरी, विद्युत (उत्पादन और संवितरण) और सड़क परिवहन संबंधी औद्योगिक समिति।

विशेष त्रिपक्षीय समिति और छः औद्योगिक त्रिपक्षीय समितियां रुग्णता, औद्योगिक पुनर्संरचना से संबंधित विषयों तथा कर्मकारों की समस्याओं से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श करती रही है। उनकी सिफारिशों को कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों को यथासमय सूचित कर दिया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

Construction of Central Board for Workers Education Headquarters

5900. SHRI V. GOPALSAMY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) when did the foundation stone of Central Board for Workers Education Headquarters was laid down;

(b) what was the estimated cost of the building;

(c) whether the construction took place, if so, when and what is the present stage in which the work is pending;

(d) by when it will be over;

(e) what will be its cost then; and

(f) who is responsible for any delay with regard to this project and what action is being taken against him?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA): (a) to (f) The foundation stone of the Central Board for Workers' Education Headquarters building was laid on 2.8.1990. The CPWD initially estimated the cost of its construction at Rs. 127.88 lakhs. The construction commenced in December 1991 and the possession of the building has been taken over the April, 1995. The construction has been completed at a cost of Rs. 213.29 lakhs. The escalation in the cost of construction is on account of construction of additional area and increase in the cost of construction index.

Recommendations of Sub-Committee of the Consultative Committee

5901. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state that the response of Government to the recommendations of the Sub-Committee of the Consultative Committee of Ministry of Labour on Provident Fund default?